छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

डब्ल्यूपीसी संख्या 2653/2021

संजय अंबष्ठ, पुत्र. मोहन गोपाल अंबष्ठ, उम्र लगभग 51 वर्ष, निवासी सुमन सदन, दर्रीपारा, अंबिकापुर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़।

---- याचिकाकर्ता

बनाम

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1. छत्तीसगढ़ राज्य, सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार, रायपुर, छत्तीसगढ़ के माध्यम से।

2. नोडल अधिकारी, राम कृष्ण केयर अस्पताल, क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, रायपुर छत्तीसगढ़।

3. जिला कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़।

4. डी.एच.ओ. सह जांच अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय, जिला रायपुर छत्तीसगढ़।

5. राम कृष्ण केयर मेडिकल साइंस प्राइवेट लिमिटेड,

प्रबंधन के माध्यम से, अरबिंदो एन्क्लेव पचपेढ़ी नाका,

धमतरी रोड, जिला रायपुर छत्तीसगढ़।

--- उत्तरवादीगण

याचिकाकर्ता के लिए : श्री शक्ति राज सिन्हा, अधिवक्ता।

राज्य के लिएः श्री आलोक बख्शी, अपर महाधिवक्ता।

न्यायमूर्ति माननीय श्री गौतम भादुड़ी

आदेश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

02.07.2021

सुना गया

1. तथ्य इस प्रकार निवेदित है की, याचिकाकर्ता की माता, जिनकी आयु लगभग 69 वर्ष है, को पीलिया के संक्रमण और कोविड-19 के कोई लक्षण नहीं होने के कारण दिनांक 22.09.2020 को राम कृष्ण केयर मेडिकल साइंस प्राइवेट लिमिटेड नामक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसके उपरांत, भर्ती के समय कोविड पॉजिटिव पाए जाने के बाद उन्हें कोविड वार्ड में रखा गया। यह वर्णित किया गया है कि माता को रेमडेसिविर इंजेक्शन दिया गया था और इंजेक्शन के गलत उपचार के कारण 26.09.2020 से उनकी तबीयत खराब हो गई। इसके उपरांत हालत खराब होने पर रेमडेसिविर इंजेक्शन देना बंद कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त 29.09.2020 को RTPCR परीक्षण कराया गया जिसमें वह कोविड निगेटिव पाई गई लेकिन फिर भी उन्हें कोविड मरीज के साथ रखा गया और 02.10.2020 को याचिकाकर्ता की माता की कोविड के बाद की जटिलताओं के कारण मृत्यु हो गई। इसके

अतिरिक्त, यह भी वर्णित किया गया है कि सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन किए बिना शव को याचिकाकर्ता तक पहुंचाया गया और उन्हें बिना सुरक्षा उपायों के एम्बुलेंस के माध्यम से ले जाया गया। परिणामस्वरूप, उत्तरवादी क्रमांक 5, अस्पताल द्वारा केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया गया है, जिसके लिए वह अभियोग चलाए जाने के लिए उतरदायी है । इस निवेदन के साथ दो तरह की प्रार्थना की गई है। अस्पताल उपेक्षा पूर्ण उपचार के लिए जिम्मेदार है और इसके अतिरिक्त, यह कि अस्पताल ने शव को संभालने में कोविड प्रोटोकॉल मानदंडों का पालन नहीं किया; इसलिए अस्पताल पर अभियोग चलाए जाने के लिए उतरदायी है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि जब याचिकाकर्ता की माता को भर्ती कराया गया था, तब उनका कोविड-19 परीक्षण पॉजिटिव आया था और हालांकि वह कोविड से ठीक हो गईं, लेकिन अंततः 02.10.2020 को उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु की तिथि से पहले, मरीज की कोविड के लिए RTPCR जांच की गई थी और पाया गया था कि वह निगेटिव थी; जिससे वह कोविड से स्वस्थ हो गई थी लेकिन बाद में उनकी मृत्यु हो गई। यह व्यक्त किया गया है कि यद्यपि याचिकाकर्ता की माता की मृत्यु कोविड जटिलता के कारण हुई थी, फिर भी उनकी मृत्यु के बाद शव को भारत सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (अनुलग्नक पी-6) द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन किए बिना सौंप दिया गया। उन्होंने यह प्रस्तुत किया है कि दिशा-निर्देशों के अनुसार, अस्पताल द्वारा शव को दोहरी परत वाले लीक प्रूफ जिप वाले बॉडी बैग में देना था और परिवहन कर्मचारी को सौंपना था, जबकि याचिकाकर्ता की माता के मामले में, शव को याचिकाकर्ता को सौंप दिया गया और याचिकाकर्ता ने ही शव को अंबिकापुर ले जाकर वहीं उनका अंतिम संस्कार किया।

परिणामस्वरूप, महामारी अधिनियम के तहत जारी दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया गया। अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि इन घटनाओं की शिकायत करने वाले आवेदन संबंधित निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं को दिए गए थे, जिनमें आरोप लगाए गए थे, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया इसलिए यह याचिका अस्पतालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए पेश किया है।

3. राज्य द्वारा विद्वान अधिवक्ता ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क का विरोध किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया, अभिवचन और उसके साथ संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

5. याचिकाकर्ता का प्राथमिक आरोप है कि उपचार में उपेक्षा बरती गई और गलत इंजेक्शन यानी रेमडेसिविर इंजेक्शन याचिकाकर्ता की माता को दिया गया, जिससे उनकी स्वास्थ्य स्थिति खराब हो गई। चिकित्सायी उपेक्षा और आपराधिक प्रकरण के संबंध में, क्या परिस्थितियों के तहत रेमडेसिविर इंजेक्शन आवश्यक था या नहीं, इसका परीक्षण न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता है।

6. डॉ. सुरेश गुप्ता बनाम दिल्ली सरकार एवं अन्य के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह परिपादित किया है कि वास्तविक चिकित्सकों को अनावश्यक परेशान नहीं किया जाना चाहिए। न्यायालय ने यह पाया है कि, यदि डॉक्टर आपराधिक प्रकरण का सामना करने के डर से कांपते रहेंगे तो वह लोगों की जान नहीं बचा पाएंगे। ऐसे मामले में, एक चिकित्साई व्यवसाय ऐसे असाध्य रूप से बीमार रोगी को अपातकालीन स्थिति में उसके

भाग्य पर छोड़ सकता है, जहां सफलता की संभावना 10% हो सकती है, बजाय इसके कि वह रोगी को बचाने के लिए अंतिम प्रयास करने का जोखिम उठाए और प्रयास विफल होने पर आपराधिक प्रकरण का सामना करे। न्यायालय ने यह पाया है मात्र देखभाल में कमी, निर्णय में त्रुटि, या दुर्घटना किसी चिकित्सायी व्यवसाय की ओर से उपेक्षा का सबूत नहीं है तथा विशेष या असाधारण सावधानियों का उपयोग करने में विफलता, जो किसी विशेष घटना को रोक सकती थी, कथित चिकित्सायी उपेक्षा का आकलन करने का मानक नहीं हो सकती।

7. जैकब मैथ्यू बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिशा-निर्देश निर्धारित किए हैं।

गणना का सारांश पैरा 48 में दिया गया है, जिसे नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:

> 48. हम अपने निष्कर्ष इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं:
>
> (1) उपेक्षा किसी कर्तव्य का उल्लंघन है जो किसी ऐसे काम को करने में लोप के कारण होता है जिसे एक विवेकशील व्यक्ति उन विचारों से निर्देशित होकर करता है जो सामान्यतः मानवीय मामलों के आचरण को नियंत्रित करते हैं, या ऐसा कुछ करना जो एक विवेकशील और विवेकशील व्यक्ति नहीं करेगा उपेक्षा की परिभाषा, जैसा कि ऊपर उल्लेखित टोर्ट्स कानून, रतनलाल और धीरजलाल (न्यायमूर्ति जी.पी. सिंह द्वारा संपादित) में दी गई है, सही है। उपेक्षा उस व्यक्ति के लिए कार्रवाई योग्य हो जाती है, जिस पर प्रकरण चलाया जा रहा है। उपेक्षा के तीन आवश्यक अंगभूत हैं: 'कर्तव्य', 'उल्लंघन' और 'परिणामी क्षति'।
>
> (2) चिकित्सायी व्यवसाय के संदर्भ में उपेक्षा के लिए अलग तरह के उपचार की आवश्यकता होती है किसी व्यवसाय खास तौर पर डॉक्टर की ओर से की गई उपेक्षा या उतावलेपन का अनुमान लगाने के लिए अतिरिक्त विचार लागू होते हैं। व्यावसायिक

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपेक्षा का प्रकरण पेशेवर उपेक्षा के प्रकरण से अलग होता है। देखभाल में साधारण कमी, निर्णय में त्रुटि या दुर्घटना, किसी चिकित्सा पेशेवर की ओर से उपेक्षा का सबूत नहीं है, जब तक कोई डॉक्टर उस दिन के चिकित्सा पेशे के लिए स्वीकार्य अभ्यास का पालन करता है, तब तक उसे उपेक्षा के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है, केवल इसलिए कि उपचार का एक बेहतर वैकल्पिक कोर्स या तरीका भी उपलब्ध था या केवल इसलिए कि एक अधिक कुशल डॉक्टर उस अभ्यास या प्रक्रिया का पालन या सहारा नहीं लेना चाहता था जिसका अभियुक्त ने पालन किया, जब सावधानी बरतने में विफलता की बात आती है तो यह देखना होगा कि क्या वे सावधानियां बरती गईं जो लोगों के सामान्य अनुभव के अनुसार पर्याप्त हैं; विशेष या असाधारण सावधानियों का उपयोग करने में विफलता जो विशेष घटना को रोक सकती थी, कथित उपेक्षा का न्याय करने का मानक नहीं हो सकती है, इसी तरह, अपनाई गई प्रथा का आकलन करते समय देखभाल के मानक का न्याय घटना के समय उपलब्ध ज्ञान के आधार पर किया जाता है, न कि परीक्षण की तारीख पर। इसी तरह, जब उपेक्षा का आरोप किसी विशेष उपकरण का उपयोग करने में विफलता से उत्पन्न होता है, तो आरोप विफल हो जाएगा यदि उपकरण उस विशेष समय (यानी, घटना के समय) पर सामान्य रूप से उपलब्ध नहीं था जिस पर यह सुझाव दिया गया है कि इसका उपयोग किया जाना चाहिए था।

(3) .....xxx.....xxx....

(4) .....xxx.....xxx....

(5) उपेक्षा का न्यायशास्त्रीय अवधारणा व्यवहार और आपराधिक विधि में भिन्न होती है। वेव्यहर विधि में जो उपेक्षा हो सकती है, जरूरी नहीं कि वह आपराधिक विधि में भी उपेक्षा हो। उपेक्षा को अपराध की श्रेणी में लाने के लिए, मेन्स रीया (दुर्भावना) तत्व का अस्तित्व दिखाया जाना चाहिए किसी कृत्य को आपराधिक उपेक्षा मानने के

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

लिए उपेक्षा की स्तर बहुत अधिक होनी चाहिए, यानी घोर या बहुत उच्च स्तर की। उपेक्षा जो न तो गंभीर है और न ही उच्च स्तर की है, वह व्यवहार विधि में कार्रवाई के लिए आधार प्रदान कर सकती है, लेकिन अभियोजन का आधार नहीं बन सकती।

(6) ....xxx.....xxx....

(7) ....xxx.....xxx....

(8) ....xxx.....xxx....”

8. यह तथ्य अनदेखा नहीं किया जा सकता कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है। विकासशील अर्थव्यवस्था होने के कारण, बढ़ता शहरीकरण, तेजी से वनों की कटाई, प्रदूषण के स्तर पर बहुत कम या कोई नियंत्रण नहीं होने के कारण लोग उष्णकटिबंधीय रोगों के प्रति अधिक संवेदनशील हैं और साथ ही घनी आबादी भी है इसलिए स्वाभाविक रूप से देश में स्वास्थ्य की स्थिति सबसे अच्छी नहीं हो सकती। शहरी क्षेत्र में भी मरीजों के प्रतिकूल डॉक्टरों की संख्या कम है, जो पूरी दुनिया में महामारी के प्रकोप के कारण सामान्य नहीं है और इसे संभालना आसान नहीं है। यह स्थिति और भी खराब हो गई क्योंकि चिकित्सा द्वारा कोई भी प्रयास जनसंख्या और रोगी के दबाव के लिए संतोषजनक नहीं होगा, खासकर कोविड महामारी के दौरान। महामारी 100 साल बाद लौटी है, कोई दवा नहीं बनी है, ऐसे में डॉक्टरों ने अपनी पूरी क्षमता और समझ के साथ कोविड-19 संक्रमित मरीजों को अलग-अलग इंजेक्शन दिए हैं, इसमें विपत्ति भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन हमें यह समझना होगा कि व्यवस्था विपत्ति उठाए बिना लाभ नहीं उठा सकता और तकनीक में हर प्रगति और अनुभव के साथ विपत्ति भी जुड़ा होता है। डॉक्टरों को भी हम सभी की तरह अनुभव से सीखना पड़ता है और अनुभव अक्सर कठिन तरीके से सिखाता है इसलिए डॉक्टरों पर उपेक्षा के लिए आपराधिक प्रकरण चलाने से बहुत भावनात्मक अशांति उत्पन्न होगी, महामारी के समय जब डॉक्टरों ने बीमार लोगों की सेवा की है, इसके अलावा तथ्य यह है कि डॉक्टर-रोगी अनुपात बुरी तरह विफल हो गया है और डॉक्टरों ने बीमार व्यक्ति को पुनर्जीवित

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है, किसी भी व्यक्तिगत राय पर कोई आपराधिक उपेक्षा नहीं लगाई जा सकती है। इन परिस्थितियों में, किसी को व्यवस्था में विश्वास दिखाना होगा और शर्तों का दुरुपयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, यह एक स्व-प्रमाणित प्रमाणिक हो सकता है।

9. शिकायत के दूसरे पहलू के संबंध में कि शव को केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी कोविड प्रोटोकॉल दिशा-निर्देशों के अनुसार नहीं संभाला गया था, यह न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जांच नहीं कर सकता है; चूंकि शिकायत की प्रकृति के अनुसार शव को बिना किसी ज़िप्ड बॉडी बैग के सौंप दिया गया था, यह जांच का विषय है इसलिए यह न्यायालय जांच करने से स्वयं परहेज करेगा। कुछ समस्याओं को हल करने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है और यदि संकीर्ण दृष्टिकोण से देखा जाए तो वे बनी रहेंगी और इसलिए याचिकाकर्ता तथ्य और आरोप को प्रमाणित करने के लिए इस अदालत द्वारा गलत तरीके से की गई कार्रवाई को स्वीकार नहीं कर सकता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, मैं इस याचिका को स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं हूं। तदनुसार इसे खारिज किया जाता है।

सही/-
(गौतम भादुड़ी)
न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur